

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त (आबकारी) विभाग**

क्रमांक: प.11(28)वित्त/आब/2014

जयपुर, दिनांक: 02.04.2017

**आज्ञा**

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) में कार्यरत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान), जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान) एवं सहायक आबकारी अधिकारी की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार जारी की जाती है:-

**राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा)**


क्र. सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
<b>(1) अतिरिक्त आबकारी आयुक्त(चयनित वेतनमान)</b>			
—	—	—	—
<b>(2) उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)</b>			
1.	श्री रतन लाल मीणा (एस0टी0)	2016-2017	सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2017
2.	श्री गेमरा राम	2016-2017	—
3.	श्री संजय सिंह राठौड़	2016-2017	—
<b>(3) जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)</b>			
1.	श्री जगदीश प्रसाद रंगा (एस0सी0)	2007-2008	—
2.	श्री ओम प्रकाश पंवार (एस0सी0)	2011-2012	—
3.	श्री सत्यनारायण परैवा (एस0सी0)	2012-2013	—
4.	श्री नूर मोहम्मद	2012-2013	—
5.	श्री मुकेश देवपुरा	2012-2013	—
6.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	2012-2013	—
7.	श्री देवेन्द्र दशोरा	2012-2013	—
8.	श्री विनोद वैष्णव	2013-2014	—
9.	श्री जितेन्द्र सिंह	2013-2014	—
10.	श्री अशोक कुमार मीणा (एस0टी0)	2013-2014	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2018
11.	श्री प्रकाश चन्द्र रैगर (एस0सी0)	2014-2015	—
12.	श्री मोहन राम पूनियां	2014-2015	—
13.	श्री आद राम (एस0सी0)	2015-2016	—
14.	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी	2015-2016	—
15.	श्री विवेका नन्द शर्मा	2015-2016	—
16.	श्री तपेश चन्द्र जैन	2015-2016	—
17.	श्रीमती रेखा माथुर	2015-2016	—
18.	श्री शिव सिंह	2015-2016	—
19.	श्री बुद्धी प्रकाश मीणा (एस0टी0)	2015-2016	—
20.	श्री मोती सिंह चौहान	2015-2016	निलम्बित
21.	श्री संजीव चौधरी	2015-2016	—

(4) सहायक आबकारी अधिकारी			
1.	श्री खुशी राम मीणा (एस0टी0)	2007-2008	
2.	श्री हरफूल चन्दोलिया (एस0सी0)	2007-2008	--
3.	श्री कमलेश परमार (एस0टी0)	2011-2012	--
4.	श्री राजेन्द्र कुमार (एस0सी0)	2011-2012	--
5.	श्री भारत भूषण चौहान (एस0सी0)	2011-2012	--
6.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	2012-2013	सेवानिवृति दिनांक 30.06.2017
7.	श्री राम रतन मीणा (एस0टी0)	2012-2013	--
8.	श्री मधुसूदन सैनी	2012-2013	--
9.	श्री संजय सिंह दूलर	2012-2013	--
10.	श्री अनिल कुमार जैन	2012-2013	--
11.	श्री सहदेव सिंह रतनू	2012-2013	--
12.	श्री अनिल कुमार यादव	2012-2013	--
13.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2012-2013	--
14.	श्री मनोज बिस्सा	2012-2013	--
15.	श्री बाबू लाल जाट	2012-2013	--
16.	श्री भवानी सिंह	2012-2013	--
17.	श्री संजीव कुमार पटावरी	2013-2014	--
18.	श्री अमरजीत सिंह	2013-2014	--
19.	श्री ओम प्रकाश स्वर्णकार	2013-2014	--
20.	श्री सुमेर सिंह मीणा (एस0टी0)	2013-2014	--
21.	श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव	2013-2014	--
22.	श्री प्रवीण कुमार केडिया	2013-2014	--
23.	श्रीमती दीप्ति मिश्र	2013-2014	--
24.	श्री हरीश रोलन (एस0सी0)	2013-2014	--
25.	श्री महेश चन्द्र भीमवाल (एस0सी0)	2014-2015	--
26.	श्री संतोष कुमार	2014-2015	--
27.	डॉ० परमानन्द पाटीदार	2014-2015	--
28.	श्री सुदर्शन सिंह भाटी	2015-2016	--
29.	श्री धनेश प्रसाद खटीक (एस0सी0)	2015-2016	--
30.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग	2016-2017	--
31.	श्री गोरवमणी जौहरी	2016-2017	--
32.	श्री गिरवर शर्मा	2016-2017	--
33.	श्री लोकेश जोशी	2016-2017	--
34.	श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित	2016-2017	--
35.	श्री राणाप्रताप सिंह	2016-2017	--
36.	श्री घनश्याम शर्मा	2016-2017	--
37.	श्री कैलाश चन्द प्रजापति	2016-2017	--
38.	श्रीमती अर्चना जैमन	2016-2017	--
39.	श्री दिनेश कुमार	2016-2017	--
40.	श्री लक्ष्मीनारायण	2016-2017	--
41.	श्री देवेन्द्र गिरी	2016-2017	--
42.	श्रीमती रश्मि जैन	2016-2017	--
43.	सुश्री मंजु अम्बेश (एस0सी0)	2016-2017	--

२

यदि किसी अधिकारी को उक्त वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 15 दिवस में आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करावें। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

भवदीय



(हृदयेश कुमार जुनेजा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग।
3. निजि सचिव, शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग।
4. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव